



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 20

13 ज्येष्ठ 1942 (श०)

पटना, बुधवार, —

3 जून 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-7	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	पूरक	---
		पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

27 मई 2020

सं० भा०व०से० (स्था०) 15/2019-1816/प०व०—श्री संजीव रंजन भा०व०से०(BH:2017) संलग्न पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया वन प्रमंडल, बेतिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० भा०व०से० (स्था०) 15/2019-1817/प०व०—श्री चंचल प्रकाशम, भा०व०से०(BH:2017) संलग्न पदाधिकारी, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 बेतिया को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचनाएं

21 मई 2020

सं० 15/ए 2-01/2020-874—आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में स्थापित शैक्षणिक केन्द्र "Patliputra School of Economics" में निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित सर्व कमीटी के समक्ष पात्रता रखने वाले एवं उपस्थित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के उपरांत सर्व कमीटी द्वारा अनुशंसित पैनल में उच्चतर स्थान प्राप्त श्री शंकर कुमार भौमिक, माघमाला, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय को इस शैक्षणिक केन्द्र के निदेशक के पद पर 03 (तीन) वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

2. वर्तमान में कोविड-19 के कारण आवागमन आदि में होने वाले असुविधा को दृष्टिपथ में रखते हुए श्री भौमिक को इस पद पर योगदान हेतु 30.06.2020 तक समय दिया जाता है। किसी कारणवश निर्धारित अवधि के भीतर योगदान समर्पित नहीं होने पर भविष्य में समीक्षोपरान्त अवधि विस्तारित करने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

3. श्री भौमिक को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के समतुल्य वेतन एवं भत्ते देय होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव।

21 मई 2020

सं० 15/ए 2-04/2020-875—आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में स्थापित शैक्षणिक केन्द्र "Centre for Journalism and Mass Communication" में निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित सर्व कमीटी समक्ष पात्रता रखने वाले एवं उपस्थित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के उपरांत सर्व कमीटी द्वारा अनुशंसित पैनल में उच्चतर स्थान प्राप्त श्री इफतेखार अहमद, पूर्व निदेशक, AJK Mass Communication, Research Centre, Jamia Millia Islamia, New Delhi को इस शैक्षणिक केन्द्र के निदेशक के पद पर 03 (तीन) वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

2. वर्तमान में कोविड-19 के कारण आवागमन आदि में होने वाले असुविधा को दृष्टिपथ में रखते हुए श्री अहमद को इस पद पर योगदान हेतु 30.06.2020 तक समय दिया जाता है। किसी कारणवश निर्धारित अवधि के भीतर योगदान समर्पित नहीं होने पर भविष्य में समीक्षोपरान्त अवधि विस्तारित करने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

3. श्री अहमद को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के समतुल्य वेतन एवं भत्ते देय होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव।

21 मई 2020

सं० 15/ए 2-02/2020-876—आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में स्थापित शैक्षणिक केन्द्र "Centre for Geographical Studies" में निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित सर्व कमीटी के

समक्ष पात्रता रखने वाले एवं उपस्थित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के उपरांत सर्व कमिटी द्वारा अनुशंसित पैनल में उच्चतर स्थान प्राप्त श्रीमती पूर्णिमा शेखर सिंह, विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, ए०एन० कॉलेज, पटना को इस शैक्षणिक केन्द्र के निदेशक के पद पर 03 (तीन) वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

2. वर्तमान में कोविड-19 के कारण आवागमन आदि में होने वाले असुविधा को दृष्टिपथ में रखते हुए श्रीमती सिंह को इस पद पर योगदान हेतु 30.06.2020 तक समय दिया जाता है। किसी कारणवश निर्धारित अवधि के भीतर योगदान समर्पित नहीं होने पर भविष्य में समीक्षोपरान्त अवधि विस्तारित करने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

3. श्रीमती सिंह को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के समतुल्य वेतन एवं भत्ते देय होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

10 फरवरी 2020

सं० एन०एच०-20/स्था०(का०क्ष०)-02-135/2001(खंड-1)-1072(5)—सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गजट अधिसूचना सं०-4023(अ०) दिनांक 20.08.2018, अधिसूचना सं०-4024(अ०) दिनांक-20.08.2018 एवं अधिसूचना सं०-886(अ०) दिनांक 18.02.2019 द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित पथ जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिघोषित करने के उपरांत गजट अधिसूचना सं०-3959(अ०) दिनांक 31.10.2019 द्वारा विकास एवं रख-रखाव करने हेतु बिहार राज्य सरकार को सौंपा गया है, का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के अंतर्गत किया जा रहा है:-

क्रमांक	रा०उ०प०सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
1.	(क) 227जे०	बिहार राज्य में सहारघाट के निकट रा०उ०प०सं०-227 के साथ अपने जक्शन से प्रारंभ होकर उच्चैट, बेनीपट्टी को जोड़ते हुए रहिका के निकट रा०उ०प०सं०-527बी के साथ अपने जक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
2.	(ख) 227एल०	बिहार राज्य में उमगाँव के निकट रा०उ०प०सं०-227 के साथ अपने जक्शन से प्रारंभ होकर बासोपट्टी को जोड़ते हुए कलुआही के निकट रा०उ०प०सं०-527बी के साथ अपने जक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
3.	(ग) 327 विस्तार	बिहार राज्य में रा०उ०प०सं०-327(प.ब./बिहार) पर गलगलिया से प्रारंभ होकर ठाकुरगंज, रानीगंज, बहादुरगंज, अररिया, भरगामा, त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल (बरियाही बाजार) बनगांव को जोड़ते हुए और महेशी (तारापीठ) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
4.	(घ) 527ई०	बिहार राज्य में रामनगर के निकट रा०उ०प०सं०-27 (प्रस्तावित दरभंगा बाईपास) के साथ अपने जक्शन से प्रारंभ होकर बहेड़ी को जोड़ते हुए रोसड़ा में समाप्त होने वाला राजमार्ग।
5.	(ड.) 319ए०	बिहार राज्य में मोहनिया के निकट रा०उ०प०सं०-19 के साथ अपने जक्शन से प्रारंभ होकर रामगढ़, चौसा को जोड़ते हुए बक्सर के निकट रा०उ०प०सं०-124सी के साथ अपने जक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

2. उल्लिखित पथों, यथा-कंडिका-1 'क' का विकास/रख-रखाव राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के अंतर्गत प्रमंडल द्वारा निम्न प्रकार किया जाएगा:-

क्रमांक	रा०उ०प०सं० (नई सं०)	पथांश का विवरण	प्रमंडल का नाम
1.	227जे०	बिहार राज्य में सहारघाट के निकट रा०उ०प०सं०-227 के साथ अपने जक्शन से प्रारंभ होकर उच्चैट, बेनीपट्टी को जोड़ते हुए रहिका के निकट रा०उ०प०सं०-527बी के साथ अपने जक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर।
2.	227एल०	बिहार राज्य में उमगाँव के निकट रा०उ०प०सं०-227 के साथ अपने जक्शन से प्रारंभ होकर बासोपट्टी को जोड़ते हुए कलुआही के निकट रा०उ०प०सं०-527बी के साथ अपने जक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर।

3.	327 विस्तार	बिहार राज्य में वनगाँव के निकट रा0उ0प0सं0-327 विस्तार के साथ अपने जक्शन से प्रारंभ होकर महिषी (तारपीठ) तक जाने वाला राजमार्ग। (पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0-1570(एस0) दिनांक-27.02.2013 द्वारा गलगलिया से प्रारंभ होकर(पश्चिम बंगाल/बिहार) ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अररिया, रानीगंज, भरगामा त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल, बरियाही बाजार, बनगाँव तक पूर्व में ही रा0उ0प0 प्रमंडलों को विकास एवं रख-रखाव हेतु अधिसूचित है)।	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा।
4.	527ई0	बिहार राज्य में रामनगर के निकट रा0उ0प0सं0-27 (प्रस्तावित दरभंगा बाईपास) के साथ अपने जक्शन से प्रारंभ होकर बहेड़ी को जोड़ते हुए रोसड़ा में समाप्त होने वाला राजमार्ग।	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर।
5.	319ए0	बिहार राज्य में मोहनिया के निकट रा0उ0प0सं0-19 के साथ अपने जक्शन से प्रारंभ होकर रामगढ़, चौसा को जोड़ते हुए बक्सर के निकट रा0उ0प0सं0-124सी के साथ अपने जक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद।

- यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्राधिकार के अधीन पड़ने वाले उपरोक्त राजमार्ग के पथांश को राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरित कर देंगे।
- उल्लिखित पथों में चालू योजनाओं का कार्यान्वयन चालू कार्य पूरा होने तक पथ निर्माण विभाग के संबंधित प्रमंडल/अंचल/उपभाग द्वारा संपादित किया जाएगा तथा प्रगतिशील कार्य पूर्णतः समाप्त होने के तुरन्त बाद इन्हें राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग से संबंधित प्रमंडल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- उल्लिखित पथों से संबंधित पूर्व का कोई भी दायित्व राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग का नहीं होगा।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,विशेष सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
26 मई 2020

सं0 कौन/भी-118/2011-103/सी-बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी श्री अरविन्द झा, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा, सम्प्रति राज्य कर उपायुक्त, गोपालगंज अंचल, गोपालगंज द्वारा कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा के पदस्थापन काल में श्री माधव मल्लिक, पूर्व प्रतिनियुक्त लिपिक, नालन्दा कोषागार से संबंधित मामले सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-7088/2006 में प्राप्त न्यायनिर्णय के तथ्यों को उसकी समग्रता में वित्त विभाग एवं जिला पदाधिकारी नालन्दा के समक्ष यथाविध रूप से नहीं रखा गया। इस मामले में श्री माधव मल्लिक के निलंबनावधि के भुगतान का न्यायनिर्णय आगत था जिसे श्री झा द्वारा वित्त विभाग से न ही अनुमोदित कराया गया और न ही उक्त आधार पर तत्काल भुगतान ही किया गया। फलस्वरूप श्री मल्लिक द्वारा इस मामले में एम0जे0सी0-2028/2006 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायनिर्णय में श्री मल्लिक को 12.5% सूद के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया। जिसका भुगतान श्री झा द्वारा बिना वित्त विभाग के अनुमति प्राप्त किए कर दिया गया। जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा श्री झा के विरुद्ध चार आरोप गठित करते हुए वित्त विभाग के माध्यम से विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त के आलोक में श्री झा के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-कौन/भी-118/2011-355/सी (अनु0) दिनांक-14.12.2018 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 में विहित रीति से मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही में मुख्य जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या-1 अंश: प्रमाणित, आरोप संख्या-2 प्रमाणित, आरोप संख्या-3 अप्रमाणित एवं आरोप संख्या-4 प्रमाणित करार दिया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-399/सी0 (अनु0) दिनांक 11.12.2019 द्वारा श्री झा से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। श्री झा से प्राप्त अभ्यावेदन एवं जाँच प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षापरान्त श्री झा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(iii) के तहत लघुदण्ड देने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत है :-

श्री अरविन्द झा, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा, सम्प्रति राज्य कर उपायुक्त, गोपालगंज अंचल, गोपालगंज के वेतन से सरकार को हुई वित्तीय हानि रु0 73,243.00 (तिहत्तर हजार दो सौ तैतालीस) की कटौती/वसूली करने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, अपर सचिव।

27 मई 2020

सं0 6/गो0-34-06/2016-872-—वाणिज्य-कर विभाग-पटना दरभंगा प्रमंडल (प्रशासन) के प्रभारी श्री अशोक कुमार शर्मा, राज्य-कर अपर आयुक्त के 31.05.2020 को सेवानिवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में श्री रामाधार सिंह, राज्य-कर अपर आयुक्त(प्रशासन), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त राज्य-कर अपर आयुक्त(प्रशासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, अपर सचिव।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं

26 फरवरी 2020

सं0 1/एल01-10-01/2016-गृ0आ0-2028-—श्री हरि प्रसाथ एस0, भा0पु0से0 (2010), पुलिस अधीक्षक, नवादा को अपने पिताजी के ईलाज हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 06.02.2020 से 20.02.2020 तक कुल 15 (पंद्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश एवं उक्त अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री प्राणतोष कुमार दास, भा0पु0से0 (2004), पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना, को रहने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अपर सचिव।

3 मार्च 2020

सं0 1/एल1-10-02/2007-गृ0आ0-2265-—श्रीमती के0 सुहिता अनुपम, भा0पु0से0 (1998), जो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के पश्चात् पुलिस मुख्यालय में दिनांक-06.02.2020 से पदस्थापन की प्रतीक्षा में है, को दिनांक-25.02.2020 से कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश(Child Care Leave)की स्वीकृति अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम 18(D) अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अपर सचिव।

19 फरवरी 2020

सं0 1/एल1-10-02/2020-गृ0आ0-1765-—सुश्री नवजोत सिमि, भा0पु0से0 (2018), सहायक पुलिस अधीक्षक(परीक्ष्यमान), पटना को अपने विवाह तथा सिविल सेवा परीक्षा-2020 में शामिल होने के लिए अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-15 के अन्तर्गत दिनांक 11.02.2020 से 22.11.2020 तक कुल 286 (दो सौ छियासी) दिनों का असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा, विशेष सचिव।

4 मार्च 2020

सं0 1/एल01-10-05/2011-गृ0आ0-2350-—श्री विकास वैभव, भा0पु0से0 (2003) पुलिस उप-महानिरीक्षक, ए0टी0एस0, बिहार, पटना को निजी अतिआवश्यक कार्य के निष्पादन हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 12.03.2020 से 26.03.2020 तक कुल 15 (पंद्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री वैभव के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में पुलिस उप-महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

19 फरवरी 2020

सं0 1/एल1-10-07/2020-गृ0आ0-1764—सुश्री धुरत सायली सावलाराम, भा0पु0से0 (2010), पुलिस अधीक्षक, अररिया को गंभीर चिकित्सीय स्थिति के कारण अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 20.12.2019 से 02.01.2020 तक कुल 14 (चौदह) दिनों का उपभोग किये गये उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा, विशेष सचिव।

5 फरवरी 2020

सं0 1/एल01-10-16/2017-गृ0आ0-1198—डा0 अमित कुमार जैन, भा0पु0से0 (1996) पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना को अपनी पुत्री की दिल्ली में परीक्षा दिलाने एवं भतीजे की दिल्ली में शादी में उपस्थित होने के लिए अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 11.02.2020 से 28.02.2020 तक कुल 18 (अठारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री जैन के उक्त अवकाश अवधि में डा0 कमल किशोर सिंह, भा0पु0से0 (1996), पुलिस महानिरीक्षक (एस0सी0आर0बी0), बिहार, पटना, अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा, विशेष सचिव।

5 फरवरी 2020

सं0 1/एल01-10-20/2009-गृ0आ0-1197—श्री दिनेश सिंह बिष्ट, भा0पु0से0 (1987), महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-9196 दिनांक 05.11.2019 द्वारा स्वीकृत अवकाश (दिनांक 04.11.2019 से 24.11.2019) को निरस्त कर, अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 14.11.2019 से 25.11.2019 तक कुल 12 (बारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा, विशेष सचिव।

19 फरवरी 2020

सं0 1/एल01-10-25/2015-गृ0आ0-1766—श्री रत्न संजय कटियार, भा0पु0से0 (1998) पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को अपने बेटे की 10वीं की परीक्षा हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 24.02.2020 से 13.04.2020 तक कुल 50 (पचास) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, दिनांक 21.02.2020 से 23.02.2020 तक Prefix एवं दिनांक 14.04.2020 को Suffix सहित, प्रदान की जाती है।

2. श्री कटियार के उक्त अवकाश अवधि में श्री कमल किशोर सिंह, भा0पु0से0 (1996), पुलिस महानिरीक्षक (एस0सी0आर0बी0), बिहार, पटना, अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा, विशेष सचिव।

निगरानी विभाग,
सूचना भवन, पटना

अधिसूचना

26 मई 2020

सं0 नि0वि0स्था0-4412/88-1314—पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-2866 दिनांक 19.05.2020 द्वारा श्री सुब्रत सरकार, मुख्य अभियंता (संविदा, प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा) की सेवा अगले आदेश तक निगरानी विभाग के अन्तर्गत तकनीकी परीक्षक कोषांग में अभियंता प्रमुख के पद पर पदस्थापन हेतु सौंपी गयी है। तदनुसार दिनांक 21.05.2020 के पूर्वाह्न में श्री सरकार द्वारा अपना योगदान समर्पित किया गया है।

2. उक्त के आलोक में उनके योगदान की तिथि 21.05.2020 के पूर्वाह्न से योगदान स्वीकृत करते हुए निगरानी विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना में अपने ही वेतनमान में अभियंता प्रमुख के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. इसमें माननीय मुख्य (निगरानी) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

14 मई 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) भोजपुर-01/2017-461967--श्री संजय कुमार पाठक, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर, भोजपुर सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोह, औरंगाबाद के विरुद्ध निर्धारित अर्हता तिथि 01.01.2015 के आधार पर निर्वाचन सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में बरती गयी अनियमितता के आरोप पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक-546 दिनांक 14.02.2017 के द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 328409 दिनांक 15.09.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा अपना लिखित अभिमत उपलब्ध कराया गया जिसपर श्री पाठक से विभागीय ज्ञापांक 445055 दिनांक 24.10.2019 के द्वारा लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी।

निर्वाचन विभाग द्वारा प्राप्त आरोप पर संचालन पदाधिकारी का लिखित अभिमत एवं आरोपी पदाधिकारी के लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी।

समीक्षोपरांत श्री संजय कुमार पाठक को आरोप से मुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल रंजन महिवाल, विशेष सचिव।

29 मई 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (भा०) भा०-09/2019-462624--श्री श्याम किशोर शर्मा, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, इस्माईलपुर, भागलपुर के विरुद्ध आवास योजना (PMAY-G एवं IAY) में गति बढ़ाने हेतु बार-बार निदेश दिए जाने के बावजूद संतोषजनक प्रगति नहीं होने के संबंध में जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 1207 दिनांक 24.06.2019 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्राप्त पत्र पर श्री शर्मा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

उक्त संदर्भ में श्री शर्मा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री शर्मा के द्वारा PMAY-G एवं IAY में प्रगति लाने हेतु प्रभावी एवं यथोचित प्रयास नहीं किया गया। फलस्वरूप प्रगति असंतोषजनक रही।

अतएव श्री शर्मा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के सेवा पुस्त में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल रंजन महिवाल, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 08-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>